फा.सं.3/24/2015-प्रशासन
भारत सरकार
संसदीय कार्य मंत्रालय

92, संविधान सदन
नई दिल्ली
तारीख: 08.01.2024

आदेश

'महिलाओं का कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न (निवारण, प्रतिषेध और प्रतितोष) अधिनियम, 2013 की धारा 4 के उपबंधों के अनुसरण में और दिनांक 11.12.2023 के समसंख्यक आदेश का अधिक्रमण करते हुए, दिनांक 31.12.2023 को श्रीमती सुमन बारा, निदेशक की सेवानिवृत्ति के पश्चात दिनांक 01.01.2024 से लैंगिक उत्पीड़न की शिकायतों की सुनवाई करने के लिए 'आंतरिक शिकायत समिति' का निम्न प्रकार पुनर्गठन किया जाता है:-

क्र.सं.	**अधिकारी का नाम और पदनाम**	**टिप्पणी**
1.	श्रीमती कुसुम सुधीर, निदेशक (भाषांतरण), राज्य सभा सचिवालय	अध्यक्ष
2.	श्री ए.बी. आचार्या, उप सचिव, संसदीय कार्य मंत्रालय	सदस्य
3.	श्रीमती वंदना ढींगड़ा, अनुभाग अधिकारी, संसदीय कार्य मंत्रालय	सदस्य
4.	श्रीमती रेखा भारती, निजी सचिव, संसदीय कार्य मंत्रालय	सदस्य
5.	डॉ. मानसी मिश्रा, विभागाध्यक्ष, अनुसंधान प्रभाग, सेंटर फॉर सोशल रिसर्च (एनजीओ), नई दिल्ली।	सदस्य

यह समिति 'महिलाओं का कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न (निवारण, प्रतिषेध और प्रतितोष) अधिनियम, 2013 के उपबंधों के अनुसार बैठक और कार्य करेगी। समिति का कार्यकाल इसके गठन की तारीख से तीन वर्ष की अवधि के लिए होगा।

यह सचिव, संसदीय कार्य मंत्रालय के अनुमोदन से जारी किया गया है।

ह./-
(पी.के. त्रिपाठी)
अवर सचिव, भारत सरकार
दूरभाष: 011-23034746

प्रतिलिपि:-

1. समिति के अध्यक्ष/सदस्यगण।
2. डॉ. रंजना कुमार, निदेशक, सेंटर फॉर सोशल रिसर्च, 2, नेल्सन मंडेला मार्ग, वसंत कुंज, नई दिल्ली-110070 को सूचनार्थ और इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि स्थानांतरण, सेवानिवृत्ति या किसी अन्य कारण से डॉ. मानसी मिश्रा, विभागाध्यक्ष, अनुसंधान प्रभाग, सेंटर फॉर सोशल रिसर्च की अनुपस्थिति में सेंटर फॉर सोशल रिसर्च से एक प्रतिनिधि उपरोक्त समिति पर सदस्य के रूप में नामित करने की कृपा करें तथा उनका विस्तृत पता इत्यादि भेजें।
3. ईमेल:- info1@csrindia.org.
4. महिला एवं बाल विकास मंत्रालय (उप सचिव/प्रशासन), शास्त्री भवन, नई दिल्ली।
5. श्री संजीव, वरिष्ठ तकनीकी निदेशक, एनआईसी को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि इस सूचना को मंत्रालय की वेबसाइट पर अपलोड करने की कृपा करें।
6. के.एम.एस. पर मंत्रालय के सभी अधिकारियों/कर्मचारियों की जानकारी के लिए।